jkT; f'k{kk dUn] e-i- Hkkiky

jk"Vh; ehUl&de&efjV Nk=ofRr p;u ijh{kk 2019&2020 ¼NMMSS½

¼e/;in'k jkT; e fLFkr doy 'kkldh;@'kkldh; vunku ikIr@LFkkuh; fudk;k }kjk lpkfyr fo|ky;k e o"k 2019&20 e d{kk 8oh e v/;;ujr fo|kfFk;k d fy,½

ijh{kk fu;e ifLrdk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय– मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। म0प्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 03.11.2019 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी, प्रतिवर्ष रूपये 12000/- के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वी एवं 11वीं में 55 प्रतिशत अंक एवं कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिये ही है।

1 ik=rk – म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायो द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होने कक्षा 7वीं में कम से कम "c" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नही है।

2 vkj{k.k – म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित तीनों वर्ग के 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता के अभ्यार्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे। स्वंय के नाम का जाति प्रमाणपत्र एवं निःशक्जन प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

3 ijh{kk ,o vkonu gr egRoi.k frfFk;k&

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08@08@2019
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	08@09@2019
परीक्षा दिनांक व दिन	03-11-2019 ¼jfookj½
परीक्षा शुल्क	fu'kYd

4- ijh{kk dk fooj.k

परीक्षा प्रश्न–पत्र	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा./विकलांग वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात 72 अंक	32% अर्थात 58 अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

- मानसिक योग्यता परीक्षण– इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण,श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन–विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- शैक्षिक योग्यता परीक्षण– इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।

5 ikB;dze– इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वी एवं 8वी की परीक्षा के समान होगा।

6 le; lkj.kh&

ijh{kk fnukd ,oa fnu	ijh{kk dk uke	ijh{kk iz'ui=	ijh{kk ikjEHk le;	mRrj'khV~l forj.k le;	mRrj'khV esa vko';d tkudkfj;k Hkjus dk le;	iz'u&i= forj.k le;	iz'u&i= forj.k dk le;	mRrj'khV esa mRrj Hkjus dk le;
03.11.2019 (रविवार)	राष्ट्रीय मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45	प्रातः10:45 से 10:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:55 बजे	प्रातः 10:55 से 11:00 बजे तक (05 मिनिट)	प्रातः 11:00 से 12:30 बजे तक (कुल ड़ेढ़ घण्टा)
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 12:30 बजे से	दोपहर से 12:30	दोपहर 12:30 से 12:40 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:40 बजे	प्रातः 12:40 से 12:45 बजे तक (05 मिनिट)	प्रातः 12:45 से 02:15 बजे तक (कुल ड़ेढ़ घण्टा)2:45 तक दृष्टिबाधित के लिए

7 vkonu dh izfdz;k ,oa izo'k i= dh izkfIr

7.1 bl ijh{kk gsrq vkonu dsoy vku ykbu gh Lohdkj fd;s tk;sxsA fdlh Hkh izdkj eSU;qvy vFkok Mkd }kjk Hkstsa x;s vkonu i= Lohdkj ugh fd;s tk;sxsA ijh{kk ds vkonu i= ladqy ikpk;Z ds }kjk ¼vkonu i= dh gkMZdkih ds lkFk vU; nLrkostk dh izekf.kr Nk;k izfr;k] tkfr&d{kk 7oha dk izxfr i=d] vk; izek.k i= ¼'kiFki=½ vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr@fodykxrk izek.k i= dh lR;kfir izfr Hkh l/kkfjr dh tk,xh½ lR;kfir dj gh vku ykbu Hkjs tk;sxsA

7.2 संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की बेवसाइट http//www.mponline.gov.in से प्राप्त करके विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र के लोगो पर क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेंगी, NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा। आवेदन पत्र दिनांक .2019 से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे)।

7.3 विद्यालय के छात्रों द्वारा पूर्ण रुप से भरे गए आवेदन पत्र, प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रेषित करके संकुल प्राचार्य को भेजे जाएंगे।

7.4 संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदनों का प्रमाणीकरण करने के उपरांत एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से प्रविष्टि कराई जाएगी। कियोस्क से प्राप्त आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो

प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगें।

7.5 ऑनलाईन प्रविष्टि कराए गए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी संकुल स्तर पर संधारित की जाएगी। (आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां, जैसे–कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र (शपथपत्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संधारित की जाएगी)। छात्र स्वयं का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7.6 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।

7.7 संकुल प्राचार्य अपने केन्द्र के समस्त आवेदन पत्रों की सूची संलग्न प्रारूप अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेगें एवं भविष्य में आवश्यकता अनुसार चाहे गए आवेदन पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराएंगे।

7.8 NMMSS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्ह घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्राचार्य कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। विहित आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा के आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि की सही जानकारी एवं पासबुक से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें, जहाँ इसे छात्रवृत्ति अवधि में (4 वर्ष तक) सुरक्षित रखा जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे।

7.9 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।

7.10 प्रवेश पत्र माह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एमपीऑनलाइन के लिंक https//www.mponline.gov.in उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।

7.11 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।

7.12 ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 x 4.5 से. मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

7.13 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।

7.14 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग मे लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

7.15 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किये जाने चाहिए।

7.16 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

7.17 अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने है।

7.18 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।

7.19 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

8 ijh{kk dk ek/;e & परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

9 ijh{kk 'kYd & इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है ।

10 iqu%ijh{k.k@iqueZY;kadu& इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।

11 ;k=k HkRrk & परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने–जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नही दिया जाएगा।

12 egRoi.kZ funZ'k &

12.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।

12.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

12.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

12.4 परीक्षा कक्ष में किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

12..5 ijh{kk gky esa yk;s tkus gsrq vko';d lkexzh& izos'k&i=] dsoy dkyk@uhyk ckyiokbaV isuA tsy isu dk mi;ksx eku; ugha gksxkA

12.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होगा जिनमें से एक सही होगा।

12.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही है।

12.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन–पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।

12.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

13 ijh{kk dsUnz %&

परीक्षा मध्यप्रदेश के 51 जिले के ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा।

14 vuqfpr lk/ku%& निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :–

14.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

14.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

14.3 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

14.4 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

14.5 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका की अदला–बदली करना।

14.6 ijh{kk d{k esa fdlh Hkh izdkj fd fdrkc ;k dkih]lsY;qyj] eksckby Qksu] dsYdqysVj] ykWx VscYl] udy ipkZ] byDVªkfud ;a= vkfn dk mi;ksx iw.kZr% oftZr gS] buesa ls dksbZ Hkh lkexzh ik;s tkus ij ijh{kkFkhZ }kjk mls lkiuk ls bdkj djuk ;k mls Lo;a u"V djukA

14.7 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

14.8 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

14.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

14.10 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यार्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

15- eY;kdu i)fr %& वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

16- fyf[kr ijh{kk e fu'kDr tu vH;kfFk;k d fy, miyC/k lfo/kk,%&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणी करण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएॅ प्रदान की जायेगी :–

16-1 ;g lfo/kk fuEufyf[kr vH;kfFk;k dk inku dh tkoxh %&

16.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रलपल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

16.1.2 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डिसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

16.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।

16.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

16-2 inku dh tku okyh lfo/kk,l %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे NCERT के नियमानुसार 30 मिनिट की अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।

16-3 y[ku fyfid dh fu;fDr gr 'kri %&

16.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

16.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम

अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणीकरण, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

16-4 bld vfrfjDr ink; dh tku okyh lfo/kk,%&

16.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएॅ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

16.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

ukV%& fdlh Hkh idkj dh dfBukbZ gksu ij fujkdj.k grq **MP Online** d njHkk"k u **0755-6720200** ij vkj jkT; f'k{kk dUn d njHkk"k ucj 0755&2559952 lidZ djA

vij lpkyd
jkT; f'k{kk dUn
Hkkiky

jkT; f'k{kk dUn] Hkkiky

NMMSS ijh{kk 2018&19 grq ftyk ukMy vf/kdkfj;k dh lph

lHkkx	Øekd	ukMy vf/kdkjh dk uke
चंबल	1	जिला परियोजना समन्वयक श्योपुर
	2	जिला परियोजना समन्वयक भिण्ड
	3	जिला परियोजना समन्वयक मुरैना
ग्वालियर	4	जिला परियोजना समन्वयक ग्वालियर
	5	जिला परियोजना समन्वयक शिवपुरी
	6	जिला परियोजना समन्वयक गुना
	7	जिला परियोजना समन्वयक अशोकनगर
	8	जिला परियोजना समन्वयक दतिया
उज्जैन	9	जिला परियोजना समन्वयक देवास
	10	जिला परियोजना समन्वयक रतलाम
	11	जिला परियोजना समन्वयक शाजापुर
	12	जिला परियोजना समन्वयक आगर
	13	जिला परियोजना समन्वयक मन्दसौर
	14	जिला परियोजना समन्वयक नीमच
	15	जिला परियोजना समन्वयक उज्जैन
इन्दौर	16	जिला परियोजना समन्वयक इन्दौर
	17	जिला परियोजना समन्वयक धार
	18	जिला परियोजना समन्वयक झाबुआ
	19	जिला परियोजना समन्वयक खरगौन
	20	जिला परियोजना समन्वयक बडवानी
	21	जिला परियोजना समन्वयक खण्डवा
	22	जिला परियोजना समन्वयक अलीराजपुर
	23	जिला परियोजना समन्वयक बुरहानपुर
भोपाल	24	जिला परियोजना समन्वयक भोपाल
	25	जिला परियोजना समन्वयक सीहोर
	26	जिला परियोजना समन्वयक रायसेन
	27	जिला परियोजना समन्वयक राजगढ

lHkkx	Øekd	ukMy vf/kdkjh dk uke
	28	जिला परियोजना समन्वयक विदिशा
	29	जिला परियोजना समन्वयक बैतूल
होशंगाबाद	30	जिला परियोजना समन्वयक होशंगाबाद
	31	जिला परियोजना समन्वयक हरदा
सागर	32	जिला परियोजना समन्वयक सागर
	33	जिला परियोजना समन्वयक दमोह
	34	जिला परियोजना समन्वयक पन्ना
	35	जिला परियोजना समन्वयक छतरपुर
	36	जिला परियोजना समन्वयक टीकमगढ
जबलपुर	37	जिला परियोजना समन्वयक जबलपुर
	38	जिला परियोजना समन्वयक कटनी
	39	जिला परियोजना समन्वयक नरसिंहपुर
	40	जिला परियोजना समन्वयक छिन्दवाडा
	41	जिला परियोजना समन्वयक सिवनी
	42	जिला परियोजना समन्वयक मण्डला
	43	जिला परियोजना समन्वयक बालाघाट
	क्रमांक	जिला परियोजना समन्वयक शहडोल
संभाग	44	नोडल अधिकारी का नाम
	45	जिला परियोजना समन्वयक अनूपपूर
	46	जिला परियोजना समन्वयक उमरिया
शहडोल	47	जिला परियोजना समन्वयक डिण्डौरी
	48	जिला परियोजना समन्वयक रीवा
	49	जिला परियोजना समन्वयक सीधी
	50	जिला परियोजना समन्वयक सतना
रीवा	51	जिला परियोजना समन्वयक सिंगरोली